रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2666] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937
No. 2666] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/AGRAHAYANA 20, 1937

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

का. आ. 3356(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898(1898 का 9) की धारा 2 के खंड(घ) और धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 16 अक्तूबर, 2014 में का. आ. 2666 (अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2014, द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के पैरा 3, उप-पैरा (vi) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(vi) स्वच्छता आयात परमिट प्रसंस्कृत पशुधन उत्पादों जैसे मात्स्यिकी उत्पाद, कुक्कुट, सूअर, भेड़ तथा बकरी के मांस उत्पाद, पालतू पशुओं के खाद्य, प्रसंस्कृत सूअर के बाल तथा प्रसंस्कृत पंखों के आयात के हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा:

परन्तु यह स्वच्छता आयात परमिट प्रसंस्कृत ताप अभिक्रिमित दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के आयात के लिए तीन मास की अवधि के लिए मान्य होगा, किन्तु आयातकर्ताओं के, लेखबद्ध किए गए कारणों से, अनुरोध पर तीन मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा: